न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 88/2017

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2017/00043

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.श्रवणसिंह पुत्र भवानीसिंह 2.उम्मेदसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा तहसील–पचपदरा व जिला बालोतरा	1.कुंभाराम पुत्र हरजीराम 2.सांवलराम पुत्र हरजीराम जाति चौधरी निवासी टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी

:आदेश :

दिनांक– 02/8/2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण श्रवणसिंह पुत्र भवानीसिंह व उम्मेदसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1014/412 रकबा 21.12 बीधा मौजा टापरा तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1007/408 रकबा 38.13 बीधा भूमि में से 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested

03\. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1007/408 मौजा टापरा में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 1014/412 रकबा 21.12 बीघा तक बरंग लाल के चौड़ा रास्ता 15 फीट भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। लेकिन विप्रार्थी येन–केन प्रकार से प्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रकरण को लम्बित करने की मंशा रखते हुए है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता की तीन बार मौका जांच रिपोर्ट आई है तथा तीनो ही रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता दिया जाना अंतिम विकल्प बताया गया है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित दिनांक 16.1.2024 को मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है। प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04\. विप्रार्थी संख्या 01 व 02 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1014/412 के अलावा खसरा संख्या 415 भी प्रार्थीगण का है,जिसके पास आवागमन का रास्ता खसरा संख्या 1241/390,1239/404 व 1243/404 मे से आवागमन के तौर पर उपयोग व उपभोग में ले रहे है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में आवेदित खसरान के समस्त खातेदार प्रार्थी पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से जहां रास्ता चाह रहे है,उक्त स्थान पर विप्रार्थी के रहवासीया ढाणीया,पशुओ के बाड़े इत्यादि बने हुए है। इस कारण प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत करने योग्य नहीं है। जबकि रास्ता की रिपोर्ट तहसीलदार पचपदरा से मंगवाई गई थी,लेकिन तहसीलदार स्वंय मौके पर नहीं चल कर हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक को मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया,उक्त राजस्व कार्मिक मौके पर नहीं चल कर प्रार्थीगण के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के कहे अनुसार एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई हैं,जो गलत होने के कारण खारिज की जावे। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय विप्रार्थी को सूचित भी नहीं किया गया। अपनी बहस कों जारी रखते हुए आ[illegible]न किया कि प्रस्तावित रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकता [illegible] अभाव हो,जबकि वैकल्पिक रास्ता अवस्थित होने के [illegible] नहीं हो सकता हैं,प्रार्थी पक्ष केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने के नियत से [illegible] हस्तगत प्रकरण पेश किया गया हैं,जिसके कारण प्रार्थी पक्ष राहत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत तथ्यों के बाधार पर होने के कारण खारिज किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested

05. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 1007/408 में से 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है,क्योकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस कारण वैकल्पिक रास्ता की सुविधा होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावे। विवादित आराजी रास्ता के संबध में तीन बार मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट न्यायालय हाजा को प्राप्त हुई। तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 16.1.2024 की अंतिम मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु दो विकल्प सहित रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

<u>विकल्प A अनुसार</u>:–ग्राम टापरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1007/408 रकबा 21.12 बीधा भूमि में आवागमन हेतु खेत खसरा संख्या 1007/408 मे से 13 फीट चौड़ा रास्ता खसरा संख्या 409,410 व 1007/408 में मौके पर आवासीय ढाणिया बसी बनी हुई है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते मे बनी ढाणियों के नजदीक रास्ता प्रस्तावित करने पर रास्ता घुमावदार नजदीकी रास्ता होगा।

<u>विकल्प B अनुसार</u>:–प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 1007/408 की मांठ के किनारे–किनारे प्रार्थीगण को आवगमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित बताया गया।

06. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से [illegible] ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या [illegible] से [illegible] एक [illegible] मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उस [illegible] को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या [illegible] नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1014/412 में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा रास्ता की मौका जांच–रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त आदेश की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक जसोल ने अपनी जांच रिपोर्ट 11.6.2018 को उपलब्ध करवाई गई। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष मुताबिक प्रार्थीगण को खसरा संख्या 1007/408 में रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित रास्ता अधिक निकट व उपयुक्त होना बताया गया। जिस पर विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एतराज होने पर पुनः विवादित आराजी की मौका जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया गया,जो दुबारा मौका मुआयना करते हुए मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 29.8.2022 को पेश की गई। जिसमें उल्लेखित किया कि प्रार्थीगण की ओर से चाहा गए रास्ता पर विप्रार्थी की रहवासी ढाणिया,टांके व टयूबैल होने के कारण बरंग अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। तत्पश्चात् दूसरी बार भी मौका जांच रिपोर्ट पर भी विप्रार्थी जरिए अधिवक्ता एतराज करते हुए पुनः मौका जांच करवानें का निवेदन किए जाने पर उभय पक्षकारान की बाद सुनवाई न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.9.2022 के द्वारा विवादित आराजी रास्ता का तीसरी बार मौका मुआयना करते हुए रिपोर्ट भिजवानें हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया गया। न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट तीसरी बार उपलब्ध करवाई गई,मौका रिपोर्ट में दो विकल्प नजरी नक्शा परिशिष्ट अ व ब बताई गई। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट अ मुताबिक उक्त रास्ता नजदीकी है,लेकिन ढाणियों के पास से खेत खसरा संख्या 1007/408 को विभाजित करते हुए निकलेगा,जो कि रास्ता दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है,क्योकि खेत के दो टुकड़े होगे तथा रास्ता भी धुमावदार होगा। इसी प्रकार परिशिष्ट ब मुताबिक रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है,क्योकि उक्त रास्ता दिए जाने से विप्रार्थी के खेत के दो टुकड़े भी नहीं होगे तथा प्रार्थीगण को आवागमन के लिए रास्ता भी प्राप्त हो जायेगा। विवादित आराजी की दूसरी मौका जांच रिपोर्ट में परिशिष्ट मुताबिक रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया था तथा तीसरी मौका जांच रिपोर्ट में उक्त रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है,जो कि रास्ता स्वीकृत किया जाना न्याय–सम्मत है। इस प्रकार दोनो ही रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना सामने नहीं आया है,इस प्रकार विप्रार्थी की मांग गैर वाजिब है कि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है,यदि ऐसा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

होता तो रिपोर्ट में सामने आता,लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के द्वारा खसरा संख्या 1007/408 में आवेदन-पत्र के संलग्न नजरी नक्शा बरंग ए से बी मुताबिक रास्ता चाहा गया था तथा न्यायालय हाजा द्वारा प्रथम बार मौका जांच रिपोर्ट मंगवाये जाने पर प्रथम मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 11.6.2018 में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया गया था,उस समय प्रस्तावित रास्ते की भूमि खाली थी,क्योंकि यदि निर्माण होता तो मौका जांच रिपोर्ट में आ जाता। इससे स्पष्ट है कि विप्रार्थी द्वारा बाद में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ता भूमि पर निर्माण किया गया है,जो कि न्यायिक द्वष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं लगता है। इससे प्रतीत होता है कि विप्रार्थी येन-केन प्रार्थीगण को रास्ता नहीं देने के लिए इसी प्रकार की बाध्यता उत्पन्न कर रहे है। जबकि प्रकरण विगत 07 वर्षो से विचाराधीन चल रहा है। हस्तगत प्रकरण संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाते हुए बाद मौका जांच कर निस्तारण करने का प्रावधान हैं,जबकि हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता का तीन बार मौका मुआयना करवाया गया,तीनो बार मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना विधि-सम्मत बताया गया,लेकिन विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने हर बार मौका रिपोर्ट पर आपति की गई। इससे यही प्रतीत होता है कि विप्रार्थी प्रकरण को निस्तारण करना नहीं देना चाहते हैं। जबकि कानून की स्पष्ट मंन्शा है कि हकदार को आवागमन हेतु रास्ता मिलना चाहिए,जो कि प्रार्थी पक्ष प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। इस कारण प्रस्तावित रास्ता ही स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत व विधि सम्मत् प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार योग्य है।

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा परिशिष्ट ब बरंग लाल कुल रकबा 1.01 बीधा की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल. सी. दर-77018/-प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर हेतु देय राशि-1,61,740/-रूपये बनती है,जिसको प्रार्थीगण राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>**आदेश**</u> :-

उपर्युक्त विवेचन के [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली [illegible] साबित [illegible] एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible] टापरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1014/412 में पहुंच हेतु खसरा [illegible] 1007/408 रकबा 38.13 बीधा में से 1.01 बीधा संलग्न नक्शानुसार परिशिष्ट ब बरं[illegible]ल में दर्शित भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 1,61,740/-(अक्षरे एक लाख इकसठ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हजार सात सौ चालीस) रूपयें की राशि विप्रार्थी को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02.8.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:28 IST
Reason: SelfAttested